राष्ट्रीय महिला आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

नवजीवन

भारत में एसिड अटैक सर्वाइवर के अधिकार, कानून और आशाएँ

राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रस्तावना

एसिड अटैक लैंगिक हिंसा के सबसे जघन्य रूपों में से एक है जो पीड़ितों को न केवल शारीरिक चोटें पहुँचाता है बल्कि गहरे मानसिक घाव भी देता है। यह पुस्तिका राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल है जिसका उद्देश्य उन बहादुर महिलाओं को जानकारी प्रदान करना, सशक्त बनाना और उनका समर्थन करना है जिन्होंने इस अकल्पनीय क्रूरता का सामना किया है। भारत सरकार ने पीड़ितों के लिए न्याय और अपराधियों के लिए सख्त सज़ा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 सहित कड़े कानूनी प्रावधान लागू किए हैं। मुफ्त उपचार, वित्तीय सहायता और पुनर्वास आदि के लिए महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ हैं जो उपचार और न्याय के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक महिला की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए, इस पुस्तिका को आशा और अनुकूलन की एक किरण के रूप में देखें और यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करें कि एसिड अटैक पीड़िताओं को वह समर्थन और अवसर मिले जिसकी वे हकदार हैं।

श्रीमती विजया रहाटकर
अध्यक्षा,
राष्ट्रीय महिला आयोग

“आप हमले से परिभाषित नहीं होते। आप अपने साहस, अपने संकल्प और अपनी आवाज़ से परिभाषित होते हैं। आपके द्वारा उठाए गए हर कदम से, आप दूसरों को और अधिक मज़बूती से खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं।”

परिचय

एसिड अटैक हिंसा के सबसे क्रूर रूपों में से एक है - ऐसा कृत्य जो न केवल गहरा शारीरिक नुकसान पहुंचाता है बल्कि आजीवन भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक घाव भी छोड़ता है। एसिड अटैक पीड़िताओं को लंबी अवधि की चिकित्सीय देखभाल और कानूनी लड़ाई से लेकर सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक कठिनाई तक की अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

यह पुस्तिका राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एसिड अटैक सर्वाइवर को सशक्त बनाने, आम जन को सूचित करने और रोकथाम, न्याय एवं पुनर्वास के प्रयत्नों का समर्थन करने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य पाठकों को एसिड अटैक सर्वाइवर के कानूनी अधिकारों, तत्काल प्रतिक्रियात्मक कार्यों, उपलब्ध संसाधनों और वास्तविक जीवन की कहानियों के बारे में शिक्षित करना है।

- एसिड अटैक सर्वाइवर को सशक्त बनाना
- सार्वजनिक रूप से सूचित करना
- रोकथाम, न्याय और पुनर्वास के लिए प्रयास करना

01

एसिड अटैक की समझ

एक ऐसा अपराध जो केवल पीड़ित के शरीर को ही नहीं अपितु उसको अंदर तक कमजोर बना देता है

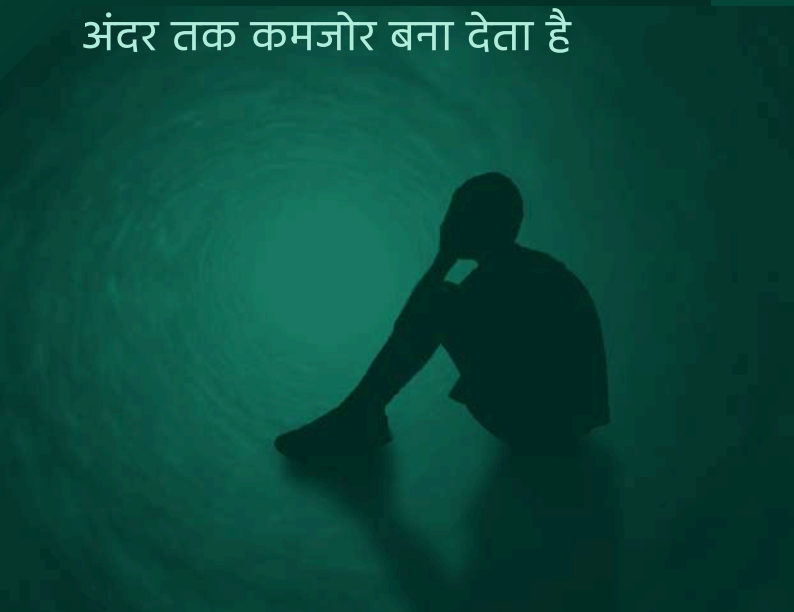

01 एसिड अटैक क्या है?

एसिड अटैक, जिसे चिकित्सकीय और कानूनी तौर पर विट्रिओलेज कहा जाता है, में किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए संक्षारक पदार्थों का जानबूझकर उपयोग किया जाता है। अपराधी प्रायः पीड़ित के चेहरे या शरीर पर एसिड डालते हैं जिसका उद्देश्य उसको गंभीर चोट, मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचाना या उसकी मृत्यु होता है।

इसके प्रभाव भयावह होते हैं:

- शारीरिक चोटों में गहरी जलन, दृष्टि की हानि शामिल हैं।
- मनोवैज्ञानिक प्रभाव में आघात, अवसाद, अभिघातजन्य तनाव विकार (पीटीएसडी) और आत्महत्या के विचार शामिल हैं।
- सामाजिक परिणामों में अलगाव और शिक्षा या रोजगार में बाधाएँ शामिल हैं।

एसिड अटैक आवेगपूर्ण कार्य नहीं हैं - यह प्रायः पूर्व नियोजित होते हैं और जेंडर आधारित हिंसा और नियंत्रण की गहरी जड़ों वाली सोच से उत्पन्न होते हैं।

02 एसिड अटैक क्यों होते हैं?

इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

- एकतरफा प्रेम संबंध या शादी के प्रस्तावों को अस्वीकार करना
- घरेलू हिंसा और दहेज की मांग
- संपत्ति संबंधी विवाद
- ईर्ष्या या पेशेवर प्रतिद्वंद्विता
- नियंत्रित करने या दंडित करने की इच्छा

महिलाओं और लड़कियों को असंगत रूप से निशाना बनाया जाता है जिससे एसिड हिंसा पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के प्रति घृणा और नियंत्रण का एक माध्यम बन जाती है

03 एसिड अटैक से संबंधित दुखद आकड़े

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार:

- 2017: 244 मामले
- 2018: 228 मामले
- 2019: 240 मामले
- 2020: 182 मामले
- 2021: 176 मामले

हालांकि, वर्ष 2019 के बाद इसमें थोड़ी गिरावट आई है लेकिन यह संख्या चिंताजनक रूप से अधिक बनी हुई है।

यह आंकड़े बताते हैं कि कानूनी सुधारों और सार्वजनिक जागरूकता के बावजूद, एसिड अटैक भारत में जेंडर आधारित हिंसा का एक गंभीर और सतत विषय बना हुआ है।

02

एसिड अटैक का जवाब

आपको क्या करना चाहिए

01 तत्काल प्राथमिक उपचार के कदम (क्या करें)

- जले हुए हिस्से को तुरंत कम से कम 30 मिनट तक साफ तथा बहते पानी से धोएं। इस कार्य में देरी न करें।
- अप्रभावित क्षेत्रों पर छींटे न डालें - सीधे जले हुए हिस्से पर पानी डालें।
- किसी भी दूषित कपड़े, गहने या सहायक उपकरण को सावधानीपूर्वक हटाएँ ताकि और अधिक जख्मों से बचा जा सके।
- आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें - 112 या 108 पर डायल करें।
- घाव को किसी साफ, न चिपकने वाले कपड़े या विसंक्रमित पट्टी (गॉज) से ढकें।
- पीड़ित को शांत रखें। उसको आश्वस्त करें और घबराने न दें।
- यदि संभव हो तो एसिड पात्र को सुरक्षित रखें।
- भीड़ को हटाएं और पीड़ित की गोपनीयता एवं गरिमा बनाए रखें।
- पीड़ित को तुरंत अस्पताल लेकर जाएँ, भले ही जलन का घाव मामूली लगे।

02 क्या न करें

✗ कोई क्रीम, तेल, मक्खन या मलहम न लगाएँ।

✗ जले हुए भाग को न रगड़ें या न छुएँ।

✗ चिकित्सा सहायता में देरी न करें।

✗ एसिड को अन्य रसायनों से बेअसर करने का प्रयास न करें।

✗ बर्फ या बहुत अधिक ठंडे पानी का प्रयोग न करें - इससे चोट और भी गहरी हो सकती है।

✗ त्वचा से चिपके कपड़ों को न खींचें।

✗ यदि पीड़ित बेहोश हो तो उसको खाना न खिलाएँ।

03

कानूनी संरक्षण और अधिकार

एसिड अटैक भारतीय कानून के अंतर्गत एक गंभीर अपराध हैं। सर्वाइवर को मजबूत कानूनी सुरक्षा, मुफ्त चिकित्सा देखभाल और कानूनी सहायता का अधिकार है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए और एसिड अटैक सर्वाइवर को गरिमा के साथ अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए सहायता मिले।

प्रासंगिक कानून: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023

एसिड अटैक अब उन गंभीर अपराधों में से एक है जिसके लिए कड़ी सजा निर्धारित की गई है।

01 धारा 124 – एसिड के प्रयोग से गंभीर चोट:

- बीएनएस की धारा 124 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एसिड या किसी अन्य संक्षारक/जलाने वाले पदार्थ को फेंककर या प्रयोग करके चोट पहुंचाता है तो उसको इस कानून के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है।

- इस नुकसान में स्थायी या आंशिक क्षति, विकृति, अपंगता, विकलांगता, जलने की चोटें या यहां तक कि किसी को घायल करना भी शामिल हो सकता है अथवा पीड़ित स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में भी जा सकता है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 के अनुसार यह गंभीर अपराधों में से एक है जिसमें ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है और हथकड़ी लगाई जाती है।

सज़ा:

- यह गंभीर अपराधों में से एक है जो संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है अर्थात प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाएगी और गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को सत्र न्यायाधीश के आदेश के बिना जमानत नहीं मिल सकती है।
- कम से कम 10 वर्ष की कैद जिसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और
- अनिवार्य रूप से उचित जुर्माना तथा पीड़ित के इलाज के लिए चिकित्सा व्यय और संबंधित लागतों का भुगतान करने के लिए सीधे उत्तरजीवी को देय होना चाहिए।

02 एसिड हमला करने का प्रयास

एसिड अटैक का प्रयास भी एक गंभीर अपराध है।

सज़ा:

- यह गंभीर अपराधों में से एक है जो संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है अर्थात प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाएगी और गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को सत्र न्यायाधीश के आदेश के बिना जमानत नहीं मिल सकती है।
- कम से कम 5 वर्ष की कैद और अधिकतम 7 वर्ष की कैद और
- जुर्माने की राशि हमले के प्रयास की गंभीरता और उसके परिणामों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

03 कानून के अंतर्गत "एसिड" की परिभाषा

बीएनएस के अंतर्गत एसिड की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

> "कोई भी पदार्थ जिसमें अम्लीय या संक्षारक अथवा जलन की प्रकृति हो तथा जिससे शारीरिक चोट पहुंच सकती हो एवं जिससे निशान या विकृति अथवा अस्थायी या स्थायी विकलांगता हो सकती हो"

यह सुनिश्चित करता है कि सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक या नाइट्रिक एसिड सहित सभी प्रकार के हानिकारक संक्षारक पदार्थ इस कानून के अंतर्गत आते हैं।

04 एसिड अटैक के लिए एफआईआर दर्ज न करने पर लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई

बीएनएस की धारा 199 के अनुसार, यदि कोई लोक सेवक एसिड अटैक से संबंधित कोई भी सूचना दर्ज करने में विफल रहता है तो उसे कम से कम छह महीने की कठोर कारावास की सज़ा दी जाएगी जो कि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और इसके साथ जुर्माना भी देना होगा।

यह एक संज्ञेय और गैर-समझौता योग्य अपराध है अर्थात ऐसे अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा सकती है और इसमें समझौता नहीं किया जा सकता।

कानूनी अधिकार के रूप में चिकित्सा उपचार

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के अंतर्गत, एसिड अटैक सर्वाइवर को बिना किसी प्रक्रियागत देरी के तत्काल मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने का अधिकार है।

बीएनएसएस की धारा 397 - आपातकालीन चिकित्सा उपचार

- सभी सार्वजनिक और निजी अस्पताल एसिड अटैक की पीड़िताओं को मुफ्त और तत्काल उपचार प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
- अस्पतालों को पीड़ित की वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना उपचार से इंकार नहीं करना चाहिए या सहायता में देरी नहीं करनी चाहिए।
- बीएनएस की धारा 124 (एसिड अटैक के उत्तरजीवी) के अंतर्गत आने वाले पीड़ित सीधे इस संरक्षणात्मक प्रावधान के अंतर्गत आते हैं।
- अस्पतालों को ऐसे पीड़ितों का इलाज करने के तुरंत बाद पुलिस को सूचित करना भी आवश्यक है।

बीएनएस की धारा 200 - पीड़ित का इलाज न करने पर सज़ा

- यदि किसी अस्पताल का प्रभारी या कोई अन्य व्यक्ति पीड़ितों को मुफ्त आपातकालीन उपचार प्रदान करने के अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है:

सज़ा:

- उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना अथवा कैद तथा जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
- यह प्रावधान सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों दोनों को जवाबदेह बनाता है और इस बात पर बल देता है कि चिकित्सा देखभाल न केवल नैतिक दायित्व है बल्कि पीड़िता का कानूनी अधिकार भी है।

मुफ्त कानूनी सहायता -

कानूनी प्रणाली से निपटना बहुत कठिन हो सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इस आघात से उबर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय कठिनाई के कारण किसी भी पीड़ित को न्याय से वंचित न किया जाए:

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

- सभी महिलाएँ, चाहे उनकी आय या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं की हकदार हैं।
- एसिड अटैक सर्वाइवर निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं:
    1. कानूनी सलाह
    2. न्यायालय में प्रतिनिधित्व
    3. मुआवज़े के दावों में सहायता
    4. जाँच और परीक्षण के दौरान मार्गदर्शन

मुफ़्त कानूनी सहायता यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि एसिड अटैक सर्वाइवर अपने अधिकारों के लिए दावा कर सकें तथा क्षतिपूर्ति की माँग कर सकें और किसी कानूनी या वित्तीय बाधा का सामना किए बिना अपराधियों को न्याय के कटघरे में ला सकें।

एसिड अटैक की पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति

भारत में एसिड अटैक सर्वाइवर सरकार से वित्तीय क्षतिपूर्ति पाने की हकदार हैं ताकि उनको ठीक होने और अपने जीवन को फिर से जीने में सहायता मिल सके। यह क्षतिपूर्ति पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना (वीसीएस) जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है।
क्षतिपूर्ति की राशि चोटों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि पीड़ित काम करने में असमर्थ है तो वित्तीय सहायता का उद्देश्य चिकित्सा उपचार, सर्जरी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास और आधारभूत जीवन-निर्वहन व्ययों को शामिल करना है।

बीएनएसएस की धारा 396 - पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना

गृह मंत्रालय की दिनांक 20.04.2015 की परामर्शी के अनुसार, एसिड अटैक की पीड़िताओं को डीएलएसए/एनएएलएसए के माध्यम से न्यूनतम 3 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ)

दिनांक 08.10.2016 से, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से एसिड अटैक की पीड़िताओं को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पुरुष पीड़ितों के मामले में, चोटों की प्रकृति और अन्य कारणों के आधार पर 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- धारा 396 या पीएमएनआरएफ के अंतर्गत सभी क्षतिपूर्ति राशियाँ, न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी द्वारा पीड़ित को दिए गए जुर्माने या क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होंगी।
- एसिड अटैक को दिव्यांगता की सूची में रखा गया है, इसलिए दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ एसिड अटैक के पीड़ितों के मामले में लागू होता है।

प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए

आवेदन करने के लिए, एसिड अटैक सर्वाइवर या उनके प्रतिनिधि को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से संपर्क करना होगा और एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) तथा चिकित्सा रिपोर्ट और एक लिखित आवेदन जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। डीएलएसए मामले का मूल्यांकन करता है और उचित क्षतिपूर्ति की राशि की सिफारिश करता है। सर्वाइवर आवेदन प्रक्रिया में मदद के लिए मुफ्त कानूनी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।

क्षतिपूर्ति की यह राशि एसिड अटैक सर्वाइवर को इस प्रकार के दर्दनाक अनुभव के पश्चात जीवन को सामान्य तथा गरिमा के साथ जीने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

1. **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से संपर्क करें**
2. **आवश्यक दस्तावेज जैसे एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट), मेडिकल रिपोर्ट और लिखित आवेदन जमा करें।**
3. **डीएलएसए मामले का मूल्यांकन करता है और उचित मुआवजा राशि की सिफारिश करता है।**
4. **आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।**

न्यायिक हस्तक्षेप

लक्ष्मी बनाम भारत संघ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मी बनाम भारत संघ ने भारत में एसिड की बिक्री को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे। वर्ष 2005 में 15 वर्षीय लड़की लक्ष्मी पर हमला किया गया था। लक्ष्मी ने एसिड हिंसा की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की बिक्री को विनियमित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए थे जिसमें एसिड की बिक्री का रजिस्टर तैयार करना, खरीदारों की पहचान का सत्यापन करना, पीड़ितों को मुफ्त और तत्काल चिकित्सा उपचार प्रदान करना तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति और पुनर्वास का प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में सर्वाइवर के लिए सामाजिक पुनः एकीकरण और कानूनी सहायता के महत्व पर बल दिया गया था।

- न्यायालय ने एसिड अटैक की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवाधिकारों और गरिमा का गंभीर उल्लंघन बताया और न्याय के लिए पूरी तरह से दंडात्मक दृष्टिकोण की अपेक्षा पुनर्वास की आवश्यकता पर बल दिया। इस निर्णय ने एसिड हिंसा को रोकने और सर्वाइवर को उनके जीवन के पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए मजबूत कानूनी और प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी।

परिवर्तन केंद्र और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। [2013]

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि उचित प्राधिकृति के बिना एसिड की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और एसिड के वितरण पर नज़र रखने में विफलता के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भी ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

04

जख्मों से ज़िन्दगी तक- एसिड अटैक सर्वाइवर्स की कहानियाँ

लक्ष्मी अग्रवाल

लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी असाधारण साहस और परिवर्तन की है। मात्र 15 वर्ष की आयु में वह एक क्रूर एसिड अटैक से उस समय बच गई जब उसने एक विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया - यह एक ऐसा क्षण था जो उसे चुप करा सकता था। इसकी अपेक्षा, लक्ष्मी ने इसके विरुद्ध लड़ने का विकल्प चुना और एसिड अटैक सर्वाइवर द्वारा इस हमले के विरोध में उठाई जाने वाली भारत की सबसे प्रमुख आवाज़ों में से एक बन गई।

लक्ष्मी अग्रवाल
एसिड अटैक सर्वाइवर

उनके सतत समर्थन से एसिड की बिक्री पर कड़े नियम बनाए गए और देश भर में पीड़िताओं के लिए संवर्धित सहायता प्रणाली बनाई गई। लक्ष्मी के अनुकूलन और सक्रियता के प्रयासों ने सराहनीय फिल्म छपाक को प्रेरित किया जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। आज वह शक्ति, आशा और जीवित रहने की अटूट भावना के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ी है।

सोनाली मुखर्जी

सोनाली मुखर्जी
एसिड अटैक सर्वाइवर

वर्ष 2003 में, सोनाली मुखर्जी को एसिड अटैक में गंभीर चोटें और भावनात्मक ज़ख्म मिले। फिर भी, असहनीय दर्द और अनगिनत सर्जरी के बावजूद उन्होंने टूटने से इंकार कर दिया। सोनाली ने न्याय के लिए अपनी व्यक्तिगत त्रासदी को एक मिशन में बदल दिया तथा वे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के अधिकारों के लिए एक प्रखर समर्थक के रूप में उभरी।

जब उन्होंने लोकप्रिय टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति पर अपनी कहानी साझा की तो उनकी ताकत और दृढ़ संकल्प ने पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया जिसने पूरे देश के लाखों लोगों को प्रेरित किया। आज एक प्रेरक वक्ता और कार्यकर्ता के रूप में, सोनाली गरिमा, न्याय और सशक्तिकरण के लिए लड़ रही है और दुनिया को दिखा रही है कि सच्चा साहस कभी हार न मानने में ही निहित है।

रेशमा कुरैशी

रेशमा कुरैशी
एसिड अटैक सर्वाइवर

रेशमा कुरैशी ने एक क्रूर एसिड अटैक का सामना किया जिसने उनके चेहरे को तो प्रभावित कर दिया लेकिन उनकी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सका। रेशमा ने छिपने की अपेक्षा पारंपरिक सौंदर्य मानकों को चुनौती देने का फैसला किया और न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप पर चली जिससे वह पूरी दुनिया में सुर्खियों में छा गई।

वह न्याय और जागरूकता की मांग करने के लिए अपनी आवाज़ का प्रयोग करते हुए एसिड हिंसा के विरुद्ध अभियान की अग्रणी बन गई। अपनी सक्रियता और सार्वजनिक उपस्थिति के माध्यम से रेशमा ने फिर से परिभाषित किया है कि सुंदर और साहसी होने का क्या अभिप्राय है।

प्रज्ञा प्रसून

प्रज्ञा प्रसून
एसिड अटैक सर्वाइवर

प्रज्ञा प्रसून की यात्रा अदम्य साहस की कहानी है। वर्ष 2006 में, अपने विवाह के मात्र 12 दिन के पश्चात, ट्रेन से यात्रा करते समय एक ठुकराए हुए प्रेमी ने उस पर एसिड से हमला कर दिया था। 47% जलने और कई सर्जरी करवाने के बावजूद, प्रज्ञा ने अपनी व्यक्तिगत त्रासदी को दूसरों की मदद करने के मिशन में बदल दिया।

उन्होंने वर्ष 2013 में अतिजीवन फ़ाउंडेशन की स्थापना की जिसने 250 से अधिक एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मुफ़्त सर्जरी, परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर सहायता की है। सर्वाइवर्स को सशक्त बनाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता से वर्ष 2019 में उनको प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रज्ञा की कहानी अनगिनत लोगों को विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित करती है।

ये कहानियाँ हमें बार-बार याद दिलाती हैं कि एसिड भले ही शरीर पर स्थायी निशान छोड़ सकता है लेकिन यह व्यक्ति के दृढ़ संकल्प, सपने और गरिमा को कभी नहीं मिटा सकता।

हेल्पलाइन

राष्ट्रीय महिला आयोग 24x7 हेल्पलाइन 7827170170	साइबर हेल्पलाइन 1930	पुलिस हेल्पलाइन 112
घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार हेल्पलाइन 1091	चाइल्ड हेल्पलाइन 1098	महिला हेल्पलाइन नंबर 181

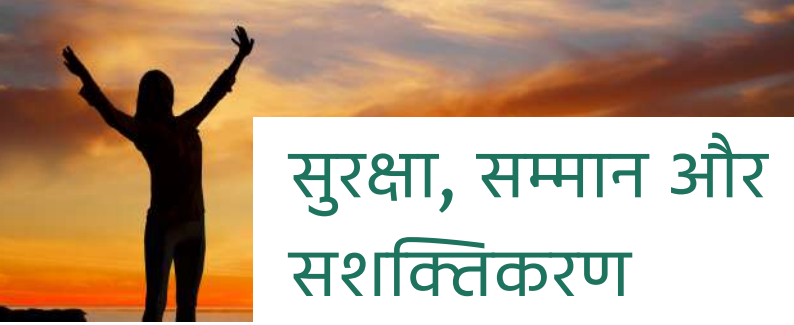

सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण

राष्ट्रीय महिला आयोग

संपर्क करें

भूखंड संख्या-21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली -110025

फोन न.

+91-11-26942369, +91-11-26944754

ईमेल

ncw@nic.in

वेबसाइट

www.ncw.gov.in

पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ

वेबसाइट: northeastcell-ncw@nic.in

विधिक प्रकोष्ठ

फोन न.: +91-11-26944877

वेबसाइट: lo-ncw@nic.in

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ

फोन न.: +91-11-26944880, +91-11-26944883

वेबसाइट: complaintcell-ncw@nic.in

मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ

वेबसाइट: antitrafficking-ncw@nic.in

NCWIndia

NCWIndia

NCWIndia

NCWIndia

“

एसिड अटैक किसी व्यक्ति की गरिमा और मानवता पर कायरतापूर्ण और अमानवीय हमला है, जिससे शारीरिक और मानसिक आघात होता है। एसिड अटैक के निशान तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आघात जीवन भर रह सकते हैं।

परंतु हमने ऐसे अनेक उदाहरण देखें हैं जहाँ एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने अपने साहस, अपनी प्रतिभा और अपने संकल्प से न सिर्फ स्वयं की पहचान बनाई, साथ ही दूसरो के जीवन में भी नया प्रकाश भर दिया। अपने साथ-साथ दूसरों को भी " नवजीवन " देती ये सभी महिलाएँ सम्मान की अधिकारी हैं।

श्रीमती विजया रहाटकर
अध्यक्षा,
राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
Government of India